

फर्द अहकाम

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर  
इन्द्रपाल शर्मा बनाम सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर  
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर ५१ सन् २०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
23.07.2025	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत अपीलान्ट इन्द्रपाल शर्मा पुत्र श्री उदयराम शर्मा निवासी डी-३५, सुभाष नगर, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट २००५ के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी आयुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>जिला कलक्टर भरतपुर</p>	६७९ ५/७/२५ मूल अपील वापिस जारी